रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1810] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 1810] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

का.आ. 2032(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, गोवा (जिसे इसमे इसके पश्चात प्राधिकरण, गोवा कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

1.	श्री विवेकानंद सावकर, एफ-2 सोएरेस एन्कलेव, बैसिलो हैल्थ क्लब के नज़दीक, सैंट आईनेज़, पणजी, गोवा	अध्यक्ष
2.	एडवोकेट जोसफ एस. वेज, मकान नं. 55, डब्ल्यू-13 अल्टिन्हो, पणजी, गोवा	सदस्य
3.	निदेशक, पर्यावरण और पदेन संयुक्त सचिव, गोवा सरकार	सदस्य-सचिव

2. गोवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. गोवा प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 में विनिर्दिष्ट है ।

4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय को पैरा 5 के अधीन गोवा राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर अपने विनिश्चय आधारित करेगा ।

5. केंद्रीय सरकार, गोवा सरकार के परामर्श से, गोवा प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजनों हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (एसईएसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में एसईएसी, गोवा कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	डा. सुहास गोडसे, मकान सं. 5258, फाकेट, पांडुरंग मंदिर के नज़दीक, तेलीगांव कार्यशाला के सामने, गोवा	अध्यक्ष
2.	श्री डोमिनिक फेर्नांडिस, "कासा फेर्नांडिस" दूसरा तल, कामत किनारा लेन, होटल राज के पीछे, मीरामार, पंजिम गोवा-403002	सदस्य
3.	डा. नितिन एस.सावंत, म. सं. 991/ए "श्री गणेश" डायमंड हार्डवेयर के पीछे, सल्वाडोर-डो-मंडो पोरविरम-बारडेज़ गोवा-403 521	सदस्य
4.	डा. पुरुशोत्तम पेंडनेकर, म. नं. 4/95/एफ, "सूर्या गणेश" अकोई, पेडुम, मपूसा, गोवा-403507	सदस्य
5.	डा. सी.यू. रिवोंकर, समुद्री विज्ञान विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तालेगांव प्लेटो, गोवा-403206	सदस्य
6.	आचार्य एम. के. जनारथनम, वनस्पति विभाग, जीव विज्ञान और पर्यावरण संकाय, अध्यक्ष, गोवा विश्वविद्यालय गोवा-403 206	सदस्य
7.	पर्यावरण इंजीनियर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रथम तल, डेम्पो टावर, इडीसी पैटो प्लाज़ा, पणजी, गोवा-403 001	सचिव

6. एसईएसी, गोवा के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी, गोवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 में वर्णित हों ।

8. एसईएसी गोवा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता हो तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

IndiaCode

9. गोवा सरकार, गोवा प्राधिकरण और एसईएसी, गोवा और उक्त सचिवालय के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और इसके सभी संविधिक कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार-तंत्र का समर्थन का प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, यातायात और ऐसी अन्य सुविधाएं भी है।

10. प्राधिकरण गोवा और एसईएसी गोवा के अध्यक्ष और सदस्यों को गोवा राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/50/2008-आईए-II (I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017.

S.O. 2032(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Goa (hereafter in this notification referred to as the Authority, Goa) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Vivekanad Sawkar, F-2 Soares Enclave, Near Basillo's Health Club, St Inez, Panaji, Goa	Chairman
2.	Adv. Joseph S. Vaz, Fr. Agnelo Road, House No. 55, W-13, Altinho, Panaji, Goa	Member
3.	Director, Environment and Ex-officio Joint Secretary, Government of Goa	Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Authority, Goa shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Goa shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification dated 14th September, 2006.

4. The Authority, Goa shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Goa.

5. To assist the Authority, Goa, the Central Government in consultation with the State Government of Goa, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereafter in this notification referred to as SEAC, Goa) comprising of the following Members, namely:-

1.	Dr. Suhas Godse, H. No. 5258, Faket, Nr. Pandurang Temple, Opp. Workshop Taleigao, Goa	Chairman
2.	Shri Dominic Fernandes, "Casa Fernades" 2nd Floor, Kamat Kinara Lane, Behind Hotel Raj, Miramar, Panjim Goa-403002	Member
3.	Dr. Nitin S Sawant, H. No. 991/A "Shree Ganesh" Behind Diamond Hardware Salvador-Do-Mundo Porvorim-Bardez Goa-403 521	Member
4.	Dr. Purushotam Pendnekar, H. No. 4/95/F, "Surya Ganesh" Acoi, Peddem, Mapusa Goa-403507	Member
5.	Dr. C. U. Rivonkar, Department of Marine Sciences, Goa University, Taleigao Plateau, Goa-403206	Member
6.	Prof. M. K. Janarthanam, Department of Botany, Dean, Faculty of Life Science and Environment, Goa University Goa-403206	Member
7.	Environment Engineer, Goa State Pollution Control Board 1st Floor, Dempo Tower, EDC Patto Plaza, Panaji, Goa- 403 001	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, Goa shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Goa shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification dated 14th September, 2006.

8. The SEAC, Goa shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Goa shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Goa and SEAC, Goa and the said Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions of the Authority and SEAC.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Goa and SEAC, Goa shall be paid as per the existing rules of the State Government of Goa.

[F. No. J-11013/50/2008-IA-II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.03 09:36:07 +05'30'